

में द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी इसी प्रकार दूसरे दिन प्रथम पाली (शिफ्ट) में तृतीय प्रश्न पत्र एवं द्वितीय पाली (शिफ्ट) में चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षार्थी का उपरोक्त चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी किसी भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे शेष प्रश्न पत्र/पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसकी उत्तर-पुस्तिका(ओं) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त समझा जावेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

(अ) प्रथम प्रश्न पत्र – प्रथम प्रश्न पत्र संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. भारत का संविधान | 2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 |
| 3. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 | 4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 |
| 5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 | 6. परिसीमा अधिनियम, 1963 |
| (अध्याय – I, II and VI to VIII) | (भाग – II & III) |

(ब) द्वितीय प्रश्न पत्र – द्वितीय प्रश्न पत्र लेखन एवं संक्षेपण का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. लेख सामाजिक विषय पर | – 30 अंक |
| 2. लेख विधिक विषय पर | – 20 अंक |
| 3. संक्षिप्तिकरण लेखन | – 20 अंक |
| 4. हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद | – 15 अंक |
| 5. अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद | – 15 अंक |

(स) तृतीय प्रश्न पत्र – तृतीय प्रश्न पत्र स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, तृतीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

- | | |
|--|--|
| 1. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 | 2. म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 |
| 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 | 4. भारतीय दंड संहिता, 1860 |
| 5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 | 6. नेगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881
(धारा 138 से धारा 147 तक) |

(द) चतुर्थ प्रश्न पत्र – चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, चतुर्थ प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. विवाहकों का स्थिरीकरण | – 10 अंक |
| 2. आरोपों की विरचना | – 10 अंक |
| 3. निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II) | – 40 अंक |
| 4. निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC) | – 40 अंक |

MCSIR